निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्याः सेवा–1/दो–(ख)/8–(01)/379 /2024–25 दिनांक 21 जून 2024

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों तथा शासनादेश सं0–198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 14 मार्च 2024 के अनुसार समूह–ख वेतनमान रू0 56100–177500, (लेवल–10) में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं को ***स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17 (1) (ख) (चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध, धारा 17 (1) (ख) (पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्याकता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध, धारा 17 (1) (ख) (छः) दुर्गम कार्य स्थल से दुर्गम कार्यस्थल में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध एवं धारा 17 (1) (ख) (सात) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध के आधार पर*** उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 के विद्यालय से स्तम्भ–4 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अपने ही वेतनमान में ***निजी व्यय पर*** स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रधानाध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री किशोर कुमार डोबरियाल	रा0उ0मा0वि0 बहेड़ा, टिहरी गढवाल।	रा0उ0मा0वि0 बिन्द्रातोक द्वारीखाल, पौड़ी ।	कार्यरत पति/पत्नी श्रेणी के अन्तर्गत
2	श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी	रा0उ0मा0वि0 धापला नैनीताल	रा0उ0मा0वि0 देवलचौड़ नैनीताल	वरिष्ठ कार्मिक श्रेणी के अन्तर्गत
3	श्री अखिलेश कुमार सिंह	रा0उ0मा0वि0 सुरंग, नैनीताल।	रा0उ0मा0वि0 प्रेमपुर लोसज्ञानी, नैनीताल ।	––तदैव––
4	श्री आनन्द नाथ ओझा	रा0उ0मा0वि0 सिमारमजकोट, बागेश्वर	रा0उ0मा0वि0 भंगा उधमसिंह नगर।	––तदैव––
5	श्री महेन्द्र सिंह डसीला	रा0उ0मा0वि0 तलाड़ अल्मोड़ा।	रा0उ0मा0वि0 विण पिथौरागढ़।	––तदैव––
6	श्री राम खेलावन वर्मा	रा0उ0मा0वि0 तिलधार खाल पौड़ी गढवाल।	रा0उ0मा0वि0 रामपुरकला, देहरादून।	––तदैव––
7	श्री दीपक बंसल	रा0उ0मा0वि0 समाल्टा, देहरादून।	रा0उ0मा0वि0 मेहूंवाला खालसा, देहरादून।	––तदैव––
8	श्री शैलेन्द्र सिंह	रा0उ0मा0वि0 कनबुआ देहरादून।	रा0उ0मा0वि0 बिरसनी देहरादून।	––तदैव––
9	श्री आलोक गौतम	रा0उ0मा0वि0 कुखई टिहरी गढवाल।	रा0उ0मा0वि0 लोयल, टिहरी गढवाल ।	––तदैव––
10	श्री हर्षमणी रतूड़ी	रा0उ0मा0वि0 जाख खिर्सू पौड़ी गढवाल।	रा0उ0मा0वि0 उफल्डा, पौड़ी गढवाल।	––तदैव––
11	श्री प्रमोद कुमार बड़थ्वाल	रा0उ0मा0वि0 उमासैंण चमोली।	रा0उ0मा0वि0 जमालपुर कला, हरिद्वार।	––तदैव––

12	श्री नेत्रपाल सिंह पंवार	रा0उ0मा0वि0 ठकरासाधार देहरादून।	रा0उ0मा0वि0 कैंचीवाला, देहरादून।	वरिष्ठ कार्मिक श्रेणी के अन्तर्गत
13	श्री अनूप कुमार,	रा0उ0मा0वि0 घोल्डाणी ओण टिहरी गढवाल।	रा0उ0मा0वि0 चामासारी टिहरी गढवाल।	---तदैव--
14	श्री मंगल सिंह राणा	रा0उ0मा0वि0 कोटी महरूकी, टिहरी गढवाल	रा0उ0मा0वि0 ईड धनारी, उत्तरकाशी।	दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत
15	श्री कैलाश चन्द्र डिमरी	रा0उ0मा0वि0 पिनस्वाड़ टिहरी गढवाल।	रा0उ0मा0वि0 धोईरा, देहरादून।	---तदैव--
16	श्री हरीश चन्द्र डिमरी	रा0उ0मा0वि0 जालतल्ला रूद्रप्रयाग।	रा0उ0मा0वि0 सरणा ऐरास, चमोली।	---तदैव--
17	श्री राकेश कोहली	रा0उ0मा0वि0 देवताधार, टिहरी गढवाल।	रा0उ0मा0वि0 मल्ला, उत्तरकाशी।	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत
महिला शाखा				
1	श्रीमती हिमानी बहुगुणा,	रा0क0उ0मा0वि0 दक्षरोड कनखल,हरिद्वार	रा0क0उ0मा0वि0 लालपुर पौड़ी।	बरिष्ठ कार्मिक श्रेणी के अन्तर्गत
2	श्रीमती ज्योति पन्त	रा0क0उ0मा0वि0 रैलाकोट, अल्मोड़ा।	रा0क0उ0मा0वि0 राजपुरा, नैनीताल।	--तदैव--

2– मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण नैनीताल में योजित निर्देश याचिका संख्या 41/ NB/DB/ 2019, याचिका संख्या 52/NB/DB/2019, याचिका संख्या 54/NB/DB/2021, याचिका संख्या 59/NB/ DB/2021, याचिका संख्या 61/NB/DB/2021, याचिका संख्या 62/NB/DB/2021, याचिका संख्या 86/NB/ DB/2021 एवं निर्देश याचिका संख्या 03/NB/DB/2022 में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिनांक 21–04– 2022 को पारित आदेश के अधीन संबंधित प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति abeyance में रखी गयी हैं। अतः उक्त स्थानान्तरण मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–04–2022 के अधीन रहेगें।

3– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें। स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरित किये गये प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(3) स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(4) धारा–25 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(5) उक्त स्थानान्तरण आदेश में ऐसे प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका जो जनपद चमोली एवं हरिद्वार के अन्तर्गत हैं, वे संबंधित जनपद में विधान सभा उप निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कर सकेगें।

21/6/24

(महावीर सिंह बिष्ट)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: सेवा–1/दो–(ख)/8–(01)/6905-14 /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0), गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी।
6. संबधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक /प्रधानाध्यापिकाओं को स्थानान्तरण आदेश की प्रति निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त कराते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी। (द्वारा–मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
8. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, संबंधित विद्यालय (द्वारा–मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
9. संबंधित प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
10. प्रभारी एम0आई0एस0, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेगें।
11. आदेश गार्ड फाईल।

21.6.24

(डा0 मुकुल कुमार सती)
संयुक्त निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड